

क्रमांक 373/22/42/11  
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,  
जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन,  
तुलसी नगर, भोपाल।

5

प्रति,

भोपाल दिनांक / /2017

समस्त मुख्य अभियन्ता,

.....कछार,

जल संसाधन विभाग.....(म0प्र0)

विषय : बैराजों के प्रशासकीय स्वीकृति प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने बाबत।

संदर्भ : स्थाई वित्तीय समिति की छठवीं बैठक वर्ष (2016.17) दिनांक 13.02.2017 का कार्यवाही विवरण।

—00—

प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु शासन को प्रस्तुत प्रस्तावों के परिपेक्ष्य में संदर्भित बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्रस्ताव के साथ संलग्न इण्डेक्स मैप (टोपोशीट) पर प्रस्तावित, निर्माणाधीन, निर्मित एवं स्वीकृत समस्त जल संग्रहण संरचनाओं का विवरण अंकित कर एक दूसरे के मध्य की दूरी एवं नाम अंकित करते हुये पुनः प्रस्तुत किये जावें।

अतः आपके स्तर से संबंधित कार्यपालन यंत्रों को निर्देशित करें कि पूर्व में प्रस्तुत समस्त बैराजों सहित वर्तमान में प्रस्तुत किये जा रहे प्रस्तावों में उपरोक्तानुसार विवरण अंकित कर प्रस्तावित बैराज का स्वतंत्र जलग्रहण क्षेत्र (Net Catchment area) बाबत प्रमाण पत्र के साथ भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न : एस.एफ.सी. कार्यवाही विवरण

रुक्मिणी

(राजीव कुमार सुकलीकर)  
प्रमुख अभियन्ता,  
जल संसाधन विभाग,  
भोपाल

पृ.क्र. 373/22/42/11

भोपाल, दिनांक : 20/03/2017

✓ प्रतिलिपि :- वेब मैनेजर, डाटा सेंटर, कोलार तिराहा, भोपाल (म0प्र0) की ओर शीघ्र वेबसाइट पर दर्ज करने हेतु।

संलग्न : एस.एफ.सी. कार्यवाही विवरण

Rukmini 20/3/17

(राजीव कुमार सुकलीकर)  
प्रमुख अभियन्ता,  
जल संसाधन विभाग,  
भोपाल

स्थाई वित्तीय समिति की छठवीं बैठक वर्ष (2016-17) दिनांक 13-02-2017  
का कार्यवाही विवरण।

प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 13-02-2017 को पूर्वान्ह 11:00 बजे कक्ष क्रमांक-407 में स्थाई वित्तीय समिति की छठवीं बैठक (वर्ष 2016-17 में) सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न अधिकारी उपस्थित रहे:-

स.क्रं.	नाम	पद	विभाग
1	श्री अजय चौबे	उप सचिव	म.प्र.शासन वित्त विभाग
2	श्री राजीव सुकलीकर	प्रमुख अभियंता	जल संसाधन विभाग
3	श्री पी.सी.बारस्कर	सलाहकार	राज्य योजना आयोग
4	श्री विनोद सिंह टेकाम	उप सचिव	म.प्र.शासन जल संसाधन विभाग

2. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग द्वारा निम्न परियोजनाओं के प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये:-

- 16 नवीन लघु सिंचाई परियोजनाओं के प्रशासकीय स्वीकृति के प्रस्ताव।
- मत्स्य विभाग के डिपाजिट मद के अन्तर्गत बाबिर मटिया पेरीफेरल पोण्ड निर्माण की अनुमति।

समिति ने उक्त परियोजनाओं के डूब क्षेत्र, जल की उपलब्धता, प्रस्तावित सिंचाई, लाभ, लागत, वनभूमि व्यपवर्तन तथा विविध तकनीकी एवं वित्तीय पहलुओं के आधार पर प्रस्तावों का परीक्षण किया।

3. विचारोपरान्त समिति द्वारा 04 नवीन लघु सिंचाई परियोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने तथा बाबिर मटिया पेरीफेरल पोण्ड निर्माण डिपाजिट मद अन्तर्गत करने की अनुमति प्रदान करने की अनुशंसा की गई।

3.1 नवीन लघु सिंचाई परियोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति:- (क) निम्न 03 नवीन लघु सिंचाई परियोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति नीचे उल्लेखित शर्तों के अधीन होगी:-

S. No	Name of Project	Block	District	Proposed Rabi Irrigation (Ha.)	Cost					Difference of Cost which is not included in G-Schedule			Total
					Forest	Private	As Per G-Schedule	Establishment	DPR	Compaction	Sluice Gate	Others	
1	Amarpura Kala Tank	Bajna/ Normal	Ratlam	160	0.00	165.02	268.91	16.85	1.62	11.27	0.66	0.00	463.33
2	Mandwi Tank	Jaora/ Normal	Ratlam	145	40.95	190.77	225.03	14.81	0.70	21.13	0.66	0.00	494.05
3	Ratagarh Storage Tank (Without dual)	panagar/ ST	panipur	285	0.00	112.32	110.91	1.32	0.50	12.72	1.65	0.00	481.22

(Cost in Lakhs, Area in Ha.)

शर्त :-

- (i) संबंधित कार्यपालन यंत्री यह सुनिश्चित करें कि परियोजना में मिट्टी कार्य में काम्पेक्शन का कार्य विभाग की विद्युत/यांत्रिकी (भारी मशीनरी संभाग) द्वारा किया जाए। इसे निविदा में नहीं जोड़ा जाए। निविदा में केवल मिट्टी एवं वाटरिंग का प्रावधान रखा जावे।
- (ii) स्लूस गेट के आयटम निविदा के 'जी' शेड्यूल में नहीं जोड़ा जाए और केन्द्रीय यांत्रिकी इकाई से कराये जावें।
- (iii) स्थापना, कंटेन्जेंसी, सर्वे/अनुसंधान, डी.पी.आर. एवं क्वालिटी कन्ट्रोल टेस्टिंग आदि कार्यों के लिए पृथक से राज्य स्तर से धनराशि प्रदाय की जाने के परिप्रेक्ष्य में कार्यपालन यंत्री इन मदों पर परियोजना के तहत कोई व्यय नहीं करें।
- (iv) चूँकि साधारण जंगल सफाई कार्य मशीनों के माध्यम से सीधे बेंचिंग कर करा लिया जाता है। अतः इस कार्य के लिए प्राक्कलन तथा जी शेड्यूल में प्रावधान नहीं रखा जाए।
- (v) जिन परियोजनाओं के संबंध में पुरानी प्रशासकीय स्वीकृतियाँ प्राप्त हों, उन्हें इस आदेश की तिथि से निरस्त मानी जाए।

(ख) मुल्लानी तालाब:- जिला सीहोर की मुल्लानी तालाब परियोजना के निर्माण हेतु मेसर्स I.T.C. द्वारा परियोजना से जल की मात्रा के उपयोग के अनुपात में लागत वहन करने की लिखित सहमति देने के उपरान्त, राशि जमा करने की शर्त पर जिससे शासन पर आने वाला व्यय निर्धारित वित्तीय मापदण्ड (रूपये 3.00 लाख प्रति हेक्टर) तक सीमित हो जाने की स्थिति में, समिति द्वारा उक्त परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई। विवरण निम्नानुसार है:-

S. No	Name of Project	Block ST / DPAP / Normal	District	Live Storage (M.C.M.)	Cost					Difference of Cost which is not included in G-Schedule			Total
					Forest	Private	As Per G-Schedule	Establishment	DPR	Compaction	Sluice Gate	Others	
1	Mullani Tank	Ashta/Normal	Sehore	0.73	0.00	417.09	253.08	16.65	0.38	23.99	0.00	0.00	711.19

उपकण्डिका (क) में वर्णित अन्य शर्तें इस परियोजना पर भी यथावत लागू होगी।

19/11/2013

3.2 निम्नलिखित बैराजों के प्रस्ताव पुनः परीक्षण करने के निर्देश दिये गये:-

स.कं.	परियोजना का नाम	जिला	प्रस्तावित कार्यवाही
1	सकरिया मगरिया बैराज	सीहोर	प्रस्तावित नदी/नालों पर अन्य निर्मित, निर्माणाधीन स्वीकृत व प्रस्तावित, जल संग्रहण संरचनाओं का विवरण इनडैक्स मैप में एक दूसरे के बीच की दूरी, नाम सहित अंकित करते हुये पुनः प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
2	मोरघाट बैराज	सीहोर	
3	इमलीघाट बैराज	सीहोर	
4	चिचलिया बैराज	सीहोर	
5	धोलपुर बैराज	रायसेन	
6	मोतीपुरा बैराज	सीहोर	
7	धतुरिया बैराज	रतलाम	
8	नारायणी बैराज	रतलाम	
9	पहाड़ी स्टॉप डेम	मुरैना	
10	बरोदिया नोनागिर बैराज	सागर	
11	मगस्था बैराज	सीहोर	
12	बोरगाँव बैराज कम काजवे	सीहोर	

3.3 डिपॉजिट मद के अन्तर्गत कार्य कराने की अनुमति (मत्स्य विभाग):-

स.कं.	परियोजना का नाम	जिला	प्रशासकीय स्वीकृति (राशि रु लाख में)
1	बाबिर मटिया पेरिफेरल पोण्ड निर्माण की अनुमति।	सागर	25.00

4. बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।  
(प्रमुख सचिव द्वारा अनुमोदित)

*(हस्ताक्षर)*  
(व्ही.एस. टेकान)  
उप सचिव,

म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग  
दिनांक 06/03/2017

पृष्ठां. क्रं. F-22/3/2016-17/ल.सि/31/412  
प्रतिलिपि :-

1. सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. उप सचिव, म.प्र.शासन, राज्य योजना आयोग, भोपाल।
3. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग भोपाल।
4. वैब मैनेजर, कार्यालय परियोजना संचालक, पाईकू, जल संसाधन विभाग, भोपाल।

*(हस्ताक्षर)*  
उप सचिव,

म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग